रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III —Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2015/ज्येष्ठ 21, 1937
No. 221] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2015/JYAISTHA 21, 1937

विदेश मंत्रालय

(नालंदा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2015

फा.सं. एस/321/25/2014.—कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 (2010 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शासी बोर्ड के अनुमोदन से नालंदा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पहला अध्यादेश बनाते हैं अर्थातः –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन अध्यादेशों के नाम नालंदा विश्वविद्यालय पहला अध्यादेश 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाः- इन अध्यादेशों में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का 39) अभिप्रेत है।

(ख) यहां इसमें प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्ति का वही अभिप्राय होगा जो अभिप्राय उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. छात्रों का प्रवेश- (1) सभी विद्यापीठों में पाठ्यक्रमों में प्रवेश समय-समय पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठों द्वारा अधिकथित किए गए पात्रता मानदंड के अनुरूप दिया जाएगा।

(2) पात्रता मानदंड प्रत्येक प्रवेश चक्र के प्रारंभ के समय विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

4. प्रवेश के लिए पात्रता- (1) कोई प्रवेशार्थी प्रवेश के लिए पात्र होगा यदि वह किसी मान्यता अभिप्रात विश्वविद्यालय अथवा संस्था से स्नातकपूर्व की डिग्री का धारक हो।

(2) प्रवेश समिति विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के विभिन्न कार्यक्रमों/विषयों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए, अर्हता का अवधारित करेंगी।

5. प्रवेश प्रक्रिया- मास्टर डिग्री के कार्यक्रमों/विषयों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया प्रवेश समिति अथवा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी समिति द्वारा समय-समय पर अधिकथित किया जाएगा।

6. छात्रों द्वारा संदत्त किए जाने वाली फीस और अन्य प्रभार- (1) वर्ष 2014 से प्रारंभ होने वाले शैक्षिणिक वर्ष के लिए शिक्षण फीस, छात्रावास फीस को छोड़कर प्रतिवर्ष छप्पन हजार रुपए होगा,

(2) छात्र प्रवेश के लिए छः हजार रुपए का एकमुश्त फीस का भुगतान करेंगे और इसके अलावा वे छः हजार रुपए की प्रतिदेय प्रतिभूति राशि जमा करेंगे।

(3) ये फीस प्रत्येक प्रवेश चक्र के प्रारंभ के समय विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रवेश पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

7. संकाय सलाहकार- (1) प्रत्येक छात्र के लिए विद्यापीठ के संकाय के सदस्यों में से कोई एक सलाहकार होगा।

(2) पाठ्यक्रम का विकल्प करते समय, प्रत्येक छात्र कुल साख, विगत कार्य निष्पादनों पाठ्यक्रम के बैकलॉग, सैमेस्टर ग्रेड पाइंट का औसत (एस जी पी ए) अथवा समग्र (कम्यूलेटिव) ग्रेड पाइंट का औसत(सी जी पी ए) अथवा अंतिम ग्रेड पाइंट का औसत (एफ जी पी ए), कार्य का भार और उनके हितों की न्यूनत्तम अथवा अधिकतम संख्या को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक कार्यक्रम में पाठ्यक्रम का अंतिम रूप से चयन करने के लिए अपने संकाय परामर्शदाता से परामर्श कर सकते हैं।

8. रजिस्ट्रीकरण- (1) सभी छात्र, प्रत्येक सैमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण कराएंगे और प्रत्येक सैमेस्टर में पाठ्यक्रमों की अपेक्षित संख्या के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने का दायित्व उन पर होगा।

(2) किसी भी छात्र को पहले से रजिस्ट्रीकरण कराए बिना किसी पाठ्यक्रम में उपस्थित लेने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(3) किसी भी छात्र को प्रत्येक सैमेस्टर में किसी पाठ्यक्रम के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा के बाद उस पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण कराने की अनुज्ञात नहीं होगी।

(4) अनुपस्थिति के विशेष मामलों में संबंधित संकायाध्यक्ष द्वारा रजिस्ट्रीकरण की अनुमति दी जा सकती है और यदि कोई छात्र बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रीकरण कराने में असमर्थ रहता है तो वह संबंधित कार्यक्रम/विषय समन्वयक अथवा संबंधित संकायाध्यक्ष को अग्रिम रूप से अनुपस्थिति का कारण संसूचित करेगा।

9. विलंब से रजिस्ट्रीकरण- विलंब से रजिस्ट्रीकरण की अनुमति विलंब रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान किए जाने पर कक्षाओं के प्रारंभ की तारीख से दो सप्ताह तक होगी:

परंतु कक्षाओं के प्रारंभ की तारीख से दो सप्ताह से अधिक विलंब से रजिस्ट्रीकरण के लिए विद्यापीठ के संबंधित संकायाध्यक्ष का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

10. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिटों के लिए निम्नतर सीमा- प्रत्येक सैमेस्टर में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अधिकतम क्रेडिटों को पाठ्यक्रम/विषय के रजिस्ट्रीकृत के समय प्रत्येक छात्र को संसूचित जाएगा।

11. पाठ्यक्रमों में विषय जोड़ना, घटाना, उनमें फेर-बदल करना और हटाना – (1) छात्रगण पाठ्यक्रमों में विषय जोड़ने, घटाने, फेर-बदल करने और उसे हटाने के लिए शैक्षिक अधिकारी को लिखित रूप से आवेदन करेंगे।

(2) किसी छात्र के पास स्कूल के पीठाध्यक्षों के संकाय की सम्मति से सैमेस्टर के पहले सप्ताह के दौरान पाठ्यक्रम जोड़ने अथवा घटाने का विकल्प होगा।

(3) कोई भी छात्र कार्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक संख्या में पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है बशर्ते उस डिग्री कार्यक्रम में उनका शैक्षिक प्रदर्शन प्रतिकूल न हो जिसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रीकरण करवाया हो और इन अतिरिक्त पाठ्यक्रमों अथवा लेखापरीक्षा पाठ्यक्रमों में अर्जित क्रेडिट को सैमेस्टर ग्रेड बिंदु औसत अथवा समग्र ग्रेड बिंदु औसत की गणना के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(4) कोई भी छात्र सैमेस्टर प्रारंभ होने के दो सप्ताह के भीतर किसी क्रेडिट पाठ्यक्रम को लेखापरीक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तित करने के लिए संबंधित विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष को आवेदन कर सकता है।

(5) कोई भी छात्र जो किसी पाठ्यक्रम को छोड़ना चाहता हो, वह सैमेस्टर प्रारंभ होने से तीन सप्ताह के भीतर विहित प्ररूप में आवेदन करेगा।

12. डिग्रियों के लिए अर्हताएं संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत (1) विश्वविद्यालयों के सभी स्नातक छात्र पूर्णकालिक आधार पर आवासीय छात्र के रूप में अपना अध्ययन पूरा करेंगे।

(2) प्रत्येक डिग्री के लिए एक अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय तथा विद्यापीठ की अपेक्षाओं को पूरा करे, विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) जब तक कि विद्यापीठ द्वारा सम्मति न दी जाए (क्षेत्र कार्य, स्थल दौरे आदि के प्रयोजनार्थ) नामांकित छात्र संपूर्ण सैमेस्टरों में परिसर में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे।

(4) स्नातक छात्रों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही विद्यापीठ संकायाध्यक्ष के अनुमोदन से छुट्टी दी जा सकती है:

परंतु इस छुट्टी की कालावधि को पाठ्यक्रम हेतु उपस्थिति की अपेक्षाओं के लिए अनुपस्थित समझा जाएगा।

(5) प्रत्येक पाठ्यक्रम अनुदेशक छात्रों द्वारा किए जा रहे पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित उपस्थिति के बारे में निर्णय ले सकता है। बशर्ते कि यह कम से कम 75 प्रतिशत हो और यदि वह छात्र इसका अनुपालन करने में विफल होता है तो उस छात्र को अंतिम परीक्षा में शामिल होने की सम्मति नहीं दी जा सकती अथवा एक ग्रेड कम करके उसे दंडित दी जा सकती है।

(6) सभी स्नातक छात्रों को किसी कार्यक्रम के लिए नामांकन संबंधी सैमेस्टर से डिग्री प्रदान किए जाने तक नियमित शैक्षणिक वर्ष के सभी सैमेस्टरों के लिए पाठ्यक्रमों में नामांकन करवाना होगा, उस स्थिति को छोड़कर जब विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष द्वारा उस छात्र को चिकित्सा, अकादमिक अथवा व्यक्तिगत आधार पर छुट्टी प्रदान किया गया हो।

(7) प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम अकादमिक अपेक्षाएं ग्रेड बिंदु औसत सैमेस्टर के प्रारंभ में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

13. कार्यक्रम की अवधि- मास्टर डिग्री प्रदान करने के लिए पाठ्यचर्या कार्य कम से कम चार सैमेस्टरों का होगा जो दो वर्षों तक चलेगा:

परंतु विश्वविद्यालय के पास कानूनी निकायों जैसे विद्या परिषद अथवा शासी बोर्ड के अनुमोदन से स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा एक वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने का अधिकार होगा।

14. क्रेडिट- (1) किसी सैमेस्टर के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कतिपय संख्या में क्रेडिट समनुदेशित किए जाएंगे जो कि व्याख्या, शिक्षकीय तथा प्रयोगशाला संपर्क घंटों पर आधारित होगा।

(2) विश्वविद्यालय आज्ञापक (कोर) तथा वैकल्पिक (चयनित) पाठ्यक्रम प्रस्थापना करेगा और इन पाठ्यक्रमों के लिए तीन-तीन क्रेडिट दिए जाएंगे, यद्यपि कुछ पाठ्यक्रमों के लिए दो अथवा तीन क्रेडिट भी दिए जा सकते हैं जो कि प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु संपर्क घंटों पर आधारित होगा।

(3) प्रशिक्षुता अथवा परियोजना अथवा शोध कार्य संबंधी क्रेडिट के बारे में संबंधित विद्यापीठ के अध्ययन बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया जा सकता है।

(4) ऐसे पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रत्येक सप्ताह तीन संपर्क घंटे हों, को तीन क्रेडिट दिए जाएंगे और विद्यापीठ अध्ययन बोर्ड किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए कम अथवा अधिक क्रेडिट दे सकता है।

(5) छात्र को डिग्री अभिप्राप्त करने के लिए अड़तालिस क्रेडिट प्राप्त करने होंगे:

परंतु किसी विद्यार्थी द्वारा अर्जित कुल क्रेडिटों में सभी स्तर के पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे और किसी अन्य विशेष पाठ्यक्रमों का निर्णय अध्ययन बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

(6) प्रत्येक सैमेस्टर के लिए किसी छात्र पर साधारण कार्य भार लगभग बारह क्रेडिटों का होगा:

परंतु प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट लेने के लिए छात्र को अनुमति दी जाए जब किसी छात्र को किसी पाठ्यक्रम को दोहराने की अनुज्ञात की गई हो।

(7) किसी छात्र को किसी विषय विशेष पर कोई पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस विषय के लिए पूर्व अपेक्षित अधिकथित फाउंडेशन पाठ्यक्रम को पूरा ना किया हो।

15. मूल्यांकन- (1) एक संपूर्ण सैमेस्टर तक चलने वाले प्रत्येक क्रेडिट पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम अनुदेशक द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के अनुसार निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा और भिन्न-भिन्न वरीयता वाले ऐसे प्रत्येक पैरामीटर के साथ इनमें से प्रत्येक पाठ्यक्रम की वरीयता पाठ्यक्रम रूपरेखा में उपदर्शित की जाएगी और पाठ्यक्रम शुरू होने के साथ ही छात्रों को इस प्रक्रिया के बारे में संसूचित किया जाएगा।

(2) सभी प्रकार के मूल्यांकन अर्थात लिखित, मौखिक, प्रश्नोत्तरी, लिखित पेपर, परीक्षाएं, शोध प्रबंध, परियोजनाएं अथवा घर पर ली जाने वाली परीक्षाएं आदि के लिए अंकों का संकलन करने के बाद निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार ग्रेड दिए जाएंगे, अर्थात:

लैटर ग्रेड	ग्रेड पाइंट	निष्पादन	स्लैब(%)
A+	10	विशिष्टता	90-100
A	9	उत्कृष्ट	85-89
A-	8	उत्तम	80-84
B+	7	बहुत अच्छा	75-79
B	6	प्रशंसनीय	70-74
B-	5	अच्छा	65-69
C+	4	उच्च औसत	60-64
C	3	साधारण	55-59
C-	2	कम औसत	50-54
D	1	कम अंतर से उत्तीर्ण	40-49
F	0	अनुत्तीर्ण	<40
I	अधूरा		
एन सी (एस आर)	0	लेखापरीक्षा पाठ्यक्रम	संतोषप्रद ढंग से सूचित
एन सी (एस आर) (एन सी: गैर क्रेडिट)	0	लेखापरीक्षा पाठ्यक्रम	रिपोर्ट नहीं की गई

(3) न्यूनतम उत्तीर्ण ग्रेड 'डी' होगा जहां किसी छात्र को पाठ्यक्रमों में कोई क्रेडिट नहीं मिलता और उसे 'एफ' ग्रेड दिया जाता है तो उसे उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त कर लेने तक ऐसे सभी पाठ्यक्रमों को दोबारा करना पड़ेगा और जिन पाठ्यकमों के लिए किसी विद्यापीठ ने डी ग्रेड या उससे ऊपर का कोई ग्रेड अभिप्रात किया है उसे छात्र द्वारा क्रेडिट अभिप्रात किया मान लिया जाएगा।

(4) अंको को तदनुरूपी ग्रेड प्वाइंट में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए अंकों को सदैव निकटतम पूर्णांक में पूर्ण मान लिया जाएगा।

(5) जिन छात्रों के लिए किसी कोर अथवा वैकल्पिक पाठ्यक्रम में असफल हो जाने पर, अतिरिक्त क्रेडिट की अपेक्षा हो उनके लिए प्रत्येक विद्यापीठ आंशिक रूप से अपनी प्रक्रिया का निर्धारण कर सकता है।

(6) (क) यदि कोई छात्र अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण पाठ्यक्रम के लिए सभी जरूरी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता तो उसे 'आई' ग्रेड दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, किसी अपराध का शिकार हो जाना, गंभीर बीमारी या गंभीर जारी चिकित्सा परिस्थिति, कुटुम्ब के किसी सदस्य या भागीदार के लिए चल रही जीवन के लिए घातक बीमारी, कुटुम्ब के किसी निकट सदस्य अथवा भागीदार की मृत्यु, अत्यधिक या जारी गंभीर व्यक्तिगत या भावात्मक परिस्थितियां, मूल्यांकन के समय पारिवारिक उथल-पुथल (जैसे कि आग लग जाना, सेंधमारी, बेदखली) आदि सम्मलित हैं।

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट 'आई' ग्रेड को विनिर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार, मूल्यांकन के पश्चात उपयुक्त ग्रेड में परिवर्तित किया जाएगा और सभी प्रमुख परीक्षण पूरे हो जाने के बाद की तारीख से दो सप्ताह के भीतर शैक्षणिक कार्यालय को दे दिया जाएगा:

परंतु उपर्युक्त खंड (क) में उल्लखित परिस्थितियों के मामले में 'आई' ग्रेड में परिवर्तित करने की अवधि को संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष के अनुमोदन से अगले समेस्टर के पहले सप्ताह तक बढ़ा दिया जाएगा।

(7) संतोषजनक रूप से रिपोर्ट किए गए या रिपोर्ट नहीं किए गए ग्रेडों के लिए क्रेडिट नहीं दिया जाना किसी लेखापरीक्षा पाठ्यक्रम में दिया जाएगा और छात्र लेखा-परीक्षा पाठ्यक्रमों में क्रेडिट अर्जित नहीं कर पाते तो उन्हें यथास्थिति अनुसार संतोषजनक रूप से रिपोर्ट किया गया अथवा रिपोर्ट नहीं किया गया ग्रेड दिया जाएगा और इन ग्रेडों पर सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) अथवा संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना में विचार नहीं किया जाएगा।

(8) किसी छात्र के निष्पादन को सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए), संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) और अंतिम ग्रेड प्वाइंट औसत (एफजीपीए) द्वारा दर्शाया जाएगा और सीजीपीए की गणना ग्रेड प्वाइंट औसत के रूप में सभी पूरे किए गए सेमेस्टरों के लिए की जाएगी।

(9) सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) की गणना प्रत्येक सेमेस्टर के लिए उस सेमेस्टर में प्राप्त ग्रेड के आधार पर की जाएगी और 'जे' सेमेस्टर के लिए एसडीपीए की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी:

$$SGPAj = \sum_{i=1}^{n} mi\,ci \;\; / \;\; \sum_{i=1}^{n} Ci$$

जहां 'n' जे सेमेस्टर में पाठ्यक्रमों की संख्या है, 'mi' का अभिप्राय सेमेस्टर के आई पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड के अंकीय मूल्य से है, 'ci' का अभिप्राय सेमेस्टर के आई पाठ्यक्रम में क्रेडिट की संख्या से है।

(10) 'के' सेमेस्टर के लिए संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) निम्नानुसार है:

$$CJPAj = \sum_{j=1}^{k} SGPA_j * C_j \;\; / \;\; \sum_{j=1}^{n} Cj$$

जहां cj का अभिप्राय j सेमेस्टर में क्रेडिट की कुल संख्या से है।

(11) किसी छात्र द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त सीजीपीए निम्नलिखित निष्पादनों के समतुल्य मानी जाएगी।

सीजपीए	**ग्रेड**	**निष्पादन**
9.0-10	A+	विशिष्टता
8.5-8.9	A	उत्कृष्ट
8.0-8.4	A-	उत्तम
7.5-7.9	B+	बहुत अच्छा
7.0-7.4	B	सराहनीय
6.5-6.9	B-	अच्छा
6.0-6.4	C+	उच्च औसत
5.5-6.9	C	साधारण
5.0-5.4	C-	न्यून औसत

4.0-4.9	D	न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण
<4.0	F	अनुत्तीर्ण

(मास्टर डिग्री दिए जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम सीजीपीए 4.0 पर प्रदान की गई है।

16. **पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति** (1) किसी अनुत्तीर्ण पाठ्यक्रम की परीक्षा के लिए छात्रों को दो बार फिर से परीक्षा देने की अनुज्ञात की जाएगी।

(2) यदि कोई छात्र प्रवेश के सेमेस्टर से कुल 4 वर्ष की अवधि के भीतर सभी पाठ्यक्रमों में न्यूनतम संख्या में क्रेडिट अभिप्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(3) किसी पाठ्यक्रम को दोहराने के मानदंड विद्यापीठ द्वारा अधिकथित किए जाएंगे जो किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में विद्यापीठ के निष्पादन के मूल्यांकन में शामिल मानकों के आधार पर किए जाएंगे।

17. **ग्रेड सुधार** – यदि विद्यापीठ का शिक्षा बोर्ड अनुज्ञात देता है तो किसी पाठ्यक्रम में 'एफ' से उच्चतर ग्रेड पाने वाला कोई छात्र पाठ्यक्रम को दोहराकर अपने ग्रेड में सुधार कर सकता है:

परंतु किसी छात्र को अपने निष्पादन को सुधारने का अवसर तभी दिया जाएगा जबकि वह पाठ्यक्रम में अपने ग्रेड को अभ्यर्पित कर दे और ऐसे मामले में छात्र की बाद वाले निष्पादन को एसजीपीए अथवा सीजीपीए की गणना के लिए लिया जाएगा।

18. **ग्रेड प्वाइंट अपेक्षा अथवा न्यूनतम मानक** – (1) यदि कोई छात्र पिछले सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रीकृत किए गए पाठ्यक्रमों के लिए पचास प्रतिशत तक पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण नहीं होता तो उसे नए सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रीकरण करवाने की अनुज्ञात नहीं दी जाएगी।

(2) कोई भी व्यष्टिक जिसने सभी सेमेस्टरों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं किया है और 4.0 का न्यूनतम अंतिम ग्रेड प्वाइंट औसत प्राप्त किया है, वह मास्टर डिग्री पाने के अर्हक नहीं होगा।

19. **अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तैयार करना** – (1) प्रत्येक विद्यापीठ अपना पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रम संरचना रखेगा और इन पाठ्यक्रमों पर विद्यापीठ स्तर पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद अनुमोदन के लिए इसे अध्ययन बोर्ड को भेज दिया जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यष्टिक पाठ्यक्रम विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम प्रभारी द्वारा किया जाएगा और अध्ययन बोर्ड को भेजे जाने से पूर्व इस परिचर्चा और अनुमोदन के लिए संबंधित अध्ययन विद्यापीठ को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अध्ययन बोर्ड आगे उपांतरणों करने के साथ सुझाव देते हुए किसी पाठ्यक्रम को वापस कर सकेगा।

(4) शैक्षणिक परिषद पाठ्यचर्चा, पाठ्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगी।

20. **किसी कार्यक्रम से किसी छात्र का नाम हटाया जाना** – (1) किसी भी छात्र का नाम विश्वविद्यालय की नामावली से स्वतः हट जाएगा यदि, -

(क) कोई छात्र, अध्यादेश 15 के (।।) उप-अध्यादेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संचयी ग्रेड प्वांइट औसत आवश्यकताएं पूरी करने में असफल हो जाता है, अथवा

(ख) किसी छात्र ने डिग्री के लिए न्यूनतम आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा किए बगैर मास्टर प्रोग्राम के लिए कई वर्ष समाप्त कर दिए हों।

(2) इन अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए भी शैक्षणिक परिषद अध्यादेश 15 के उप अध्यादेश (6) (क) में यथापि उल्लिखित आपवादिक परिस्थितियों में विद्यापीठ के अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर तथा प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने के लिए कारणों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करने पर विचार कर सकती है।

(3) कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में किसी प्रोग्राम अथवा अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसी दूसरे पूर्णकालिक कार्यक्रम के लिए पहले ही रजिस्ट्रीकरण करवा लिया है।

(4) यदि किसी छात्र ने विश्वविद्यालय में किसी कार्यक्रम के लिए अपने आपको सूचीबद्ध करवाते समय उप अध्यादेश (3) में विनिर्दिष्ट तथ्य छुपाया है तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा।

21. **डाक्टर आफ फिलोस्फी प्रोग्राम –** (1) कोई अभ्यर्थी डाक्टर आफ फिलास्फी (पीएचडी) डिग्री के लिए शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तभी पात्र होगा यदि उसने किसी मान्यता अभिप्रात विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मास्टर डिग्री प्रात कर ली हो।

(2) पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया उक्त प्रयोजन के लिए गठित प्रत्येक विद्यापीठ के अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाएगी।

(3) पी.एच.डी प्रोग्राम में सन्नियमों अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक विद्यापीठ के अध्ययन बोर्ड द्वारा अधिकथित मानदंड़ों के आधार पर किया जाएगा।

(4) पीएच. डी के चयनित छात्रों को प्रत्येक विद्यापीठ के अध्ययन बोर्ड (बोर्ड ऑफ स्टडीज) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, पीएच.डी. पर्यवेक्षक विनिर्दिष्ट किए जाएंगे और प्रत्येक मामले में ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य पर अध्ययन बोर्ड द्वारा विचार और निर्णय किया जाएगा।

(5) किसी अधिकथित समय में किसी अकादमिक संकाय में छः से अधिक रजिस्ट्रीकृत पीएच.डी. छात्र नहीं होंगे।

(6) समनुदेशित पर्यवेक्षक छात्रों के लिए सह-पर्यवेक्षक के रूप में दो सलाहकार की अनुशंसा कर सकेगा और इनके नाम अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

(7) पीएच.डी. के सभी छात्रों को अपने प्रथम वर्ष में प्रवेश के भीतर पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित क्रेडिट अंक विनिर्दिष्ट पूरा करना अपेक्षा होगी।

(8) किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित छात्रों के मामले में छात्र पीएच.डी की अपनी डिग्री विश्वविद्यालय से अभिप्राप्त करेंगे और छात्र द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम विषयक किए गए कार्य पर विचार करने के बाद अध्ययन बोर्ड अपने विवेकाधिकार से इस अपेक्षा में छूट दे सकता है।

(9) उप-अध्यादेश (8) में यथा विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए छात्र अपना आवेदन अध्ययन बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे तथा पहले किए जा चुके पाठ्यक्रम के पूर्ण विवरण सहित सभी दस्तावेज संलग्न करेंगे और साथ ही पाठ्यक्रम तथा अनुलिपिकरणों की एक प्रति भी भेजेंगे।

(10) किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 6.0 सी जी पी ए प्राप्त होने के बाद ही उसे प्राक् पीएच.डी. पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने वाला घोषित किया जाएगा।

(11) ऐसे छात्र जो किसी क्रेडिट पाठ्यक्रम में असफल हो जाते हैं अथवा उनका सी जी पी ए 6.0 से कम होता है अथवा वे अपने पाठ्यक्रम विषयक कार्य पूरा करने के बाद अनुसंधान कार्य के प्रति इच्छा व प्रेरणा नहीं दर्शाते हैं तो पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए उनकी संपुष्टि नहीं की जाएगी और विश्वविद्यालय की पंजी से उनका नाम काट दिया जाएगा।

(12) पश्च पीएच.डी. पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद छात्रों को परिणाम की घोषणा की तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तावित अनुसंधान कार्य के सारांश के रूप में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और अध्ययन बोर्ड द्वारा औपचारिक प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद छात्र को पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत विचार जाएगा।

(13) छात्र अपने रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि की तारीख से पांच वर्ष अथवा दस सैमेस्टर की अवधि के भीतर अपना शोधप्रबंध प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।

(14) यदि उप-अध्यादेश (12) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर छात्र अपना शोधप्रबंध प्रस्तुत कर पाने में सफल नहीं होता है तो ऐसे छात्र का नाम विश्वविद्यालय की पंजी से हटा दिया जाएगा।

(15) यदि कोई छात्र उप-ध्यादेश (12) में किए गए यथाविनिर्दिष्ट अपने शोधप्रबंध जमा करने में असमर्थ रहता हो तो उसे समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन देना होगा जिसमें अपेक्षित तारीख से पूर्व अपने शोधप्रबंध जमा करने में उसे अपनी असमर्थता के कारणों तथा परिस्थितियों का उल्लेख करना होगा और तत्पश्चात, उस आवेदन पर अनुसंधान अध्ययन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा, जो प्रत्येक मामले पर पुनर्विलोकन करेगा और समय बढ़ाने की अनुमति पर विनिर्दिष्ट अनुशंसाएं करेगा।

(16) किसी भी छात्र को पीएचडी के लिए अपने शोधप्रबंध प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं है जब तक वह अपने रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि के उपरांत कम से कम दो वर्षों तक विश्वविद्यालय में अनुसंधान पाठ्यक्रम पूरा कर न चुका हो।

22. **परीक्षाएं**- (1) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए सभी आकलन और परीक्षाएं, पीएचडी शोधप्रबंध के आकलन के सिवाय, आंतरिक रूप से आयोजित की जाएंगी:

परंतु अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट मामलों में बाह्य मूल्यांकन के लिए संकाय के सदस्य स्वतंत्र होने चाहिए

(2) सभी परीक्षा विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष के निर्देशन में आयोजित की जाएंगी और विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा अनुसूची का पालन किया जाएगा।

(3) विभिन्न क्रेडिट पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए व्यावहारिक परीक्षाओं और प्रश्न प्रतियोगिताओं, मिड-सेमेस्टर और अंत सेमेस्टर के लिए प्रश्नपत्रों को प्रत्येक सत्र की शुरूआत में घोषित पाठ्यचर्चा में से क्रमशः पाठ्यक्रमों को पढ़ाने वाले संकाय द्वारा तैयार किए जाएंगे।

परंतु ये प्रश्न कक्षा में पढ़ाए गए विषय से भी पूछें जाएं जिनका उल्लेख पाठ्यक्रम विषयवस्तु में विशेष रूप से उल्लेख नहीं भी हो गया है।

(4) किसी भी छात्र को अपेक्षित लिखित कागज-पत्रों, शोधपत्रों, परियोजना आदि को प्रस्तुत करने या अंतिम सत्र आकलनों/मूल्यांकन के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक वह विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र सभी देय पावतियों सहित, जिसमें परीक्षा फीस भी शामिल है, यदि कोई है, प्राप्त न कर चुका हो।

(5) मध्य सत्र और अंतिम सत्र के लिए केंद्रीकृत परीक्षा समय-सारणी की घोषणा, सत्र के आरंभ में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यलय द्वारा की जाएगी।

(6) परीक्षा के उपरांत, उत्तरों का मूल्यांकन उस संकाय द्वारा किया जाएगा जिन्होंने प्रश्न पत्रों को तैयार किया है और ग्रेड भी उनके द्वारा ही दिए जाएंगे:

परंतु आवश्यकता पड़ने पर संकाय संगत विशेषज्ञता रखने वाले संकाय के अन्य सदस्यों को उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने अथवा मौखक परीक्षाएं आयोजित करने का अनुरोध कर सकता है।

(7) सेमेस्टर के अंत के उपरांत, डीन संकाय समिति या इस प्रयोजन के लिए गठित निकाय के अन्य सदस्यों की समिति द्वारा, ग्रेडों की अधिसूचना से पूर्व सभी ग्रेडों की संवीक्षा करेगा।

(8) विश्वविद्यालय, कम से कम एक वर्ष के लिए छात्रों की ग्रेडेड उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित प्रतिधारित मे रखेगा, यदि किसी मामले में किसी छात्र द्वारा पुनःमूल्यांकन का अनुरोध प्राप्त होता है।

(9) छात्र जोकि पाठ्यक्रम में अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए परीक्षा में पुनः सम्मिलित हैं तो उन्हें इस प्रयोजन के लिए निर्धारित आवेदन प्ररूप में विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष को आवेदन करना होगा और प्रति पाठ्यक्रम के लिए चार सौ रू. फीस देगा।

(10) छात्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पुनः तभी पात्र होगा, यदि वह सेमेस्टर में हुई कुल कक्षाओं में से कम से कम पिछत्तर प्रतिशत में उपस्थित हुआ हो।

(11) प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में परीक्षा परिणामों को संकायाध्यक्ष के कार्यालय द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को अग्रनीत किया जाएगा।

(12) यदि कोई छात्र परीक्षा परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वह शैक्षणिक कार्यालय द्वारा परिणामों की पुनर्विलोकन के लिए अनुरोध कर सकता है।

(13) पुनर्विलोकन करते समय, शैक्षणिक कार्यालय यह सत्यापित करेगा कि परीक्षा पत्र को पूरी तरह से लिपि किया गया है और सभी अंकों को परीक्षा बोर्ड को सही तरीके से पारेषित गया है और इसमें परीक्षा पत्र को पुनः तैयार किया जाना सम्मिलित नहीं है।

(14) विश्वविद्यालय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के उत्तर पत्र की पुनर्विलोकन कर सकेगा किंतु अन्य सतत आकलन मानदंडों की पुनर्विलोकन नहीं करेगा।

(15) परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए, विहित के लिए आवेदन प्ररूप, चार सौ रूपए के निर्धारित फीस के साथ, शैक्षणिक कार्यालय को अग्रसारित किया जाएगा।

23. **संयमन** – (1) विश्वविद्यालय, सभी पाठ्यक्रमों में प्रभावकारी और सतत संयमन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।

(2) आकलन लिखितों का संयमन (पाठ्यक्रम कार्य विषय-सार और परीक्षा प्रश्नपत्र) में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसका स्वरूप तथा अन्तर्वस्तु मानकों, ज्ञानार्जन परिणामों के आकलन, पाठ्यक्रम की व्याप्ति, चुनौती के स्वरूप में सहीं हैं।

(3) छात्र कार्य का संयमन (पाठ्यक्रम कार्य और परीक्षा लिपि) सहमत अंकन मानदंड का उपयोग, तुलनात्मकता और मानदंडों के औचित्य, सततता और अंकन की निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा।

(4) अध्ययन बोर्ड द्वारा स्थापित और निर्णीत सुधार प्रणाली सभी स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा या समय-समय पर आयोजित अन्य परीक्षा के लिए लागू होगी।

24. **परिणामों का संयमन** – (1) यदि परीक्षा का परिणाम त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो परीक्षक बोर्ड, कुलपति के आवश्यक अनुमोदन से ऐसे परिणामों को सही करने की शक्ति प्राप्त होगी, बशर्ते त्रुटि परिणामों की घोषणा की तारीख से छह मास के भीतर ढूढ़ ली जाती है या रिपोर्ट की जाती है और यदि कोई त्रुटि इसके उपरांत पायी जाती है, तो उसे परिशुद्धि करने के लिए परीक्षा बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

(2) उप-अध्यादेश (1) के प्रयोजन निम्नलिखित भूलों पर विचार किया जाएगा, अर्थात:-

(क) कंप्यूटर या डेटा प्रविष्टि, मुद्रण या प्रोग्रामिंग तथा ऐसी ही अन्य गलतियां

(ख) योग करने या फाईल में अंक की प्रविष्टि करने संबंधी लिपिकीय गलतियां,

(ग) परीक्षक या मूल्यांकन, संयमन या परिणाम तैयार करने से संबंधित गलतियां

(3) यदि परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है और पश्चातवर्ती में यह पाया जाता है कि परीक्षार्थी ने कपट या कदाचार से परिणाम अभिप्राप्त किया है तो अध्ययन बोर्ड किसी भी समय ऐसे परीक्षार्थी के परिणाम में पुनरीक्षित कर सकेगा।

मोनिका कपिल मोहता, संयुक्त सचिव (दक्षिण)

[विज्ञापन.III/4/ असा./191-डी /15 (112)]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(NALANDA DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2015.

F. No. S/321/25/2014.– In exercise of the powers conferred by section 29 of the Nalanda University Act, 2010 (39 of 2010), the Vice-Chancellor with the approval of the Governing Board hereby makes the following first Ordinances of the Nalanda University, namely:—

1. Short title and commencement. **–** (1) These Ordinances may be called the Nalanda University First Ordinances, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition. **–** In these ordinances, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Nalanda University Act, 2010 (39 of 2010).

(b) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Admission of students. – (1) The admissions to courses in all schools shall be made in accordance with the eligibility criteria set out by different schools of the University from time to time.

(2) The eligibility criteria shall be listed on the admission portal of the University at the commencement of every admission cycle.

4. Eligibility for admission. – (1) A candidate shall be eligible for admission, if he or she possesses an undergraduate degree from a recognised university or institution.

(2) The Admission Committee shall determine the qualifications for eligibility to admission in various Master's programmes in the University.

5. **Admission procedure. –** The procedure for admission to the Master's degree programmes shall be laid down from time to time by the Admission Committee or a Committee appointed for such purpose by the University.

6. **Fees and other charges to be paid by the students. –** (1) The tuition fees for academic year beginning from the year 2014 shall be rupees fifty six thousand per annum, excluding the hostel fees.

(2) A student shall pay a onetime fee of rupees six thousand towards admission and in addition, he or she shall deposit a refundable security of rupees six thousand.

(3) The fees shall be specified on the admission's portal of the University at the commencement of every admission's cycle.

7. **Faculty Adviser. –** (1) For each student, there shall be an advisor from amongst the members of the Faculty of the School.

(2) At the time of opting for the courses, each student may consult his or her Faculty Advisor to finalise the courses in the academic programme keeping in view the minimum or maximum number of total credits, past performance, backlog of courses, Semester Grade Point Average (SGPA) or Cumulative Grade Point Average (CGPA) or Final Grade Point Average (FGPA), work load and his or her interests.

8. **Registration. –** (1) All students shall register for various courses in each semester and it shall be their responsibility to register for the requisite number of courses in each semester.

(2) No student shall be allowed to attend a course without prior registration.

(3) No student shall be allowed to register for a course after the time limit specified therefor in each semester.

(4) In-absentia registration may be allowed in special cases by the Dean of the concerned faculty and if a student is unable to make registration on account of illness or any other reason, he or she shall intimate the reason of absence to respective Programme Coordinator and Dean of the concerned faculty in advance.

9. **Late registration.** – Late registration shall be allowed up to two weeks from the date of commencement of classes on payment of late registration fees:

Provided that late registration beyond two weeks from the date of commencement of classes shall require approval of the concerned Dean of the School.

IndiaCode

10. **Lower limit for the credits registered. –** The minimum credits required to be registered for, in each semester, shall be intimated to each student at the time of registration of courses.

11. **Addition, deletion, audit, and withdrawal from courses. –** (1) The students shall apply in writing to the Academic office for adding, deleting, auditing and withdrawing from courses.

(2) A student shall have the option to add or delete courses during the first week of the semester with the permission of the Dean of the school.

(3) A student may take more elective courses than the minimum number prescribed in the programme provided it does not adversely affect academic performance in the degree programme for which they are registered and credits obtained in these additional or audit courses shall not be included for the calculation of Semester Grade Point Average or Cumulative Grade Point Average.

(4) A student may apply to Dean of the respective school to change a credit course to an audit one within two weeks from the commencement of a semester.

(5) A student who opts to withdraw from a course shall apply on the prescribed form within three weeks from the commencement of a semester.

12. **Guidelines for qualifications for degrees. –** (1) All Graduate students of the University shall pursue their studies in residence on a full-time basis.

(2) For each degree, an approved course of study that meets University and School requirements shall be specified.

(3) Unless permission is granted by the School (for the purpose of field work, site visits etc.) enrolled students shall maintain presence in campus throughout the semesters.

(4) Graduate students may be granted leave only in unavoidable circumstances on the approval of the Dean of the School:

Provided that the period of leave shall be treated as absence for the requirement of attendance for a course.

(5) Each Course Instructor may decide on the optimum attendance required by the students in his or her course, subject to a minimum of seventy five per cent and if the student fails to comply with it, he or she may be disallowed to appear in the final examination or may be penalised by dropping a grade.

(6) All Graduate students shall enroll in courses for all semesters of the regular academic year from the semester of enrolment to the programme until conferral of the degree except when the student is granted leave of absence on medical, academic or personal grounds by the Dean of the School.

(7) The minimum academic requirements and grade point average for each course of study shall be specified for each programme at the start of the semester.

13. **Duration of the Programme. –** The curricular work for the award of a Master's degree shall be of minimum of four semesters, encompassing two years:

Provided that the University shall have the right to offer Post Graduate diploma or degree course of one year duration on the approval of the statutory bodies such as Academic Council or the Governing Board.

14. **Credits. –** (1)Each course in a semester shall be assigned a certain number of credits, depending on its lecture, tutorial, and laboratory contact hours.

(2) The University shall offer mandatory (Core) and optional (Elective) courses and these courses shall carry three credits each, though some courses may be awarded two or four credits depending upon contact hours per week per course.

(3) The internship or project or dissertation credits may be decided by Board of Studies of the concerned School.

(4) A course which has three contact hours per week shall be awarded three credits and the Board of Studies of a School may allot less or more credits to a particular course.

(5) A student shall have to acquire forty eight credits to obtain a degree**:**

Provided that the total credits earned by a student shall include all levels of courses and any other special courses shall be decided by the Boards of Studies.

(6) The normal work load of a student for each semester shall be around twelve credits:

Provided that the Dean of each School may allow a student to take additional credits when a student has been permitted to repeat a course.

(7) A student shall not be permitted to opt for a course on any particular topic if he or she has not cleared a foundation course prescribed as a pre-requisite for that topic.

15. **Evaluation. –** (1) For each credit course completing one full semester, continuous evaluation shall be made as per the parameters set out by the course instructor and, with each such parameter having variable weightage, the weights for each of these shall be indicated in the course outline and the procedure shall be informed to the students at the commencement of the course.

(2) After compiling the marks for all the evaluations, i.e. written, oral, quizzes, written papers, examinations, dissertations, projects or take home examinations, the final grades shall be awarded as per following the guidelines, namely:-

Letter grade	**Grade point**	**Performance**	**Slab (%)**
A+	10	Distinction	90-100
A	9	Outstanding	85-89
A-	8	Excellent	80-84
B+	7	Very Good	75-79
B	6	Commendable	70-74
B-	5	Good	65-69
C+	4	High Average	60-64
C	3	Mediocre	55-59
C-	2	Low Average	50-54
D	1	Marginal Pass	40-49
F	0	Fail	<40
I	Incomplete		
NC (SR)	0	Audit course	Satisfactorily Reported
NC (NR)	0	Audit course	Not Reported

(NC: Non Credit)

(3) The minimum passing grade shall be 'D' and where a student does not earn any credit in courses and is awarded 'F' grade, he or she has to repeat all such courses until a passing grade is obtained and the credits for the courses in which a student has obtained a 'D' grade or higher grade, shall be considered as credits earned by the student.

(4) For the purpose of converting marks into corresponding Grade Point, the marks shall always be rounded off to the nearest integer.

(5) Each School may internally set the procedure for the students who may require to earn additional credits after having failed either in a core or an elective course.

(6) (a) A student shall be awarded an 'I' grade if he or she has not fulfilled all the requirements for the course on account of circumstances which are beyond his or her control, such as, meeting with an accident, becoming a victim of crime, acute illness or serious ongoing medical condition, ongoing life threatening illness of a close family member or partner, bereavement of a close family member or partner, acute or ongoing serious personal or emotional circumstances, or domestic upheaval at the time of the assessment (e.g. fire, burglary, eviction), etc.

(b) The 'I' grade specified in clause (a) shall be converted into a proper grade after evaluation as per the prescribed guidelines and sent to the Academic Office within two weeks from the date on which all the major tests are over:

Provided that, in case of circumstances mentioned in clause (a), the period of conversion of 'I' grade shall be extended to the first week of the next semester, with the approval of Dean of the concerned school.

(7) Non credit of Satisfactorily Reported or Not Reported grades shall be awarded in an audit course, and the students who do not earn credits in audit courses shall be awarded a Satisfactorily Reported or Not Reported grade as the case may be, and these grades shall not be considered in the calculation of Semester Grade Point Average (SGPA) or Cumulative Grade Point Average (CGPA).

IndiaCode

(8) The performance of a student shall be represented by Semester Grade Point Average (SGPA), Cumulative Grade Points Average (CGPA) and Final Grade Point Average (FGPA) and CGPA shall be calculated as the grade point average for all the completed semesters.

(9) The Semester Grade Points Average (SGPA) shall be calculated for each semester on the basis of grades obtained in that semester and the SGPA for the 'jth' semester shall be calculated as follows:

$$SGPAj = \sum_{i=1}^{n} m_i c_i \ / \ \sum_{i=1}^{n} c_i$$

Where 'n' is the number of courses in the 'jth' semester, 'm_i' denotes the numerical value of the grade obtained in the 'ith' course of the semester, 'c_i' denotes the number of credit for the 'ith' course of the semester.

(10) Cumulative Grade Point Average (CGPA) for 'k' semesters is given as:

$$CJPAj = \sum_{j=1}^{k} SGP\ A_j * c_j \ / \ \sum_{j=1}^{k} c_j$$

Where, 'cj' is the total number of credits in the 'jth' Semester.

(11) The Final CGPA obtained by a student shall be equated as per the following performances:

CGPA	**Grade**	**Performance**
9.0-10	A+	Distinction
8.5-8.9	A	Outstanding
8.0-8.4	A-	Excellent
7.5-7.9	B+	Very Good
7.0-74	B	Commendable
6.5-6.9	B-	Good
6.0-6.4	C+	High Average
5.5-5.9	C	Mediocre
5.0-5.4	C-	Low Average
4.0-4.9	D	Marginal Pass
<4.0	F	Fail

IndiaCode

(The minimum CGPA required for the award of Master's Degree is fixed at 4.0)

16. **Repeat** of **a Course. –** (1) The students shall be permitted twice to reappear for the examination of a failed course**.**

(2) The student shall be declared as failed if he or she does not obtain minimum number of credits in all the courses within a total period of four years from the semester of admission.

(3) The criteria for repeating the course shall be set out by the School, keeping in view the parameters involved in evaluating a student's performance in the particular course.

17. **Grade improvement. –** If the Board of Studies of the school permits, a student who secures a grade higher than 'F' in a course may be allowed to improve his or her grade by repeating the course:

Provided that a student shall be allowed to improve his or her performance, if he or she surrenders his or her earlier grade in the course and in such case, the later performance of the student in the course shall be taken into consideration for SGPA or CGPA calculation.

18. **Grade point requirement or minimum standard. –** (1) A student who has not passed fifty per cent of courses registered for in the previous semester shall not be permitted to register for a new semester.

(2) A student who has not passed in all individual courses in all semesters and secured a minimum Final Grade Point Average of 4.0 shall not qualify for the award of the Master's degree.

19. **Courses of study and framing of curriculum. –** (1) Each School shall put in place its curriculum and course structures and these courses shall be discussed at the School level and then sent to the Board of Studies for approval.

(2) Each individual course shall be set out in detail by the course-in-charge and presented to the respective School of study for discussion and approval before being sent to the Board of Studies.

(3) The Board of Studies may return a course with suggestions for further modifications.

(4) The Academic Council shall finally approve the curriculum, course structure and the course content**.**

20. **Removal of the name of a student from a programme. –** (1) The name of a student may automatically be removed from the rolls of the University if, –

(a) the student fails to fulfil the Cumulative Grade Point Average requirements as specified in sub-ordinance (11) of Ordinance 15; or

(b) the student has exhausted the total maximum number of years for the Master's programme without fulfilling the minimum essential requirements for the degree.

(2) Notwithstanding anything contained in these Ordinances, the Academic Council may, in exceptional circumstances, similar to the ones mentioned in sub-ordinance (6) (a) of Ordinance 15, and on the recommendation of the Board of Studies of a School, as well as on the merits of each individual case, consider relaxation of any of the provisions for reasons to be recorded in writing.

(3) No candidate shall be eligible to register for any programme or course of study at University if he or she has already registered for any other full-time programme at the University or any other University.

(4) If the student is found to have concealed the fact specified in sub-ordinance (3) while getting himself or herself enrolled for a programme at University, his or her name shall be struck off from the rolls.

21. **Doctor of Philosophy programme. –** (1) A candidate shall be eligible for admission to a research course for the Doctor of Philosophy (Ph.D.) degree, if he or she has possessed a Master's degree from a recognised university or institution.

(2) The procedure for receiving applications for admission to the Ph.D. programme shall be laid down from time to time by the Board of Studies of each School constituted for the said purpose.

(3) Candidates shall be selected for admission to the Ph.D. programme on the basis of norms laid down by the Board of Studies of each School.

(4) The selected Ph.D. students shall be assigned Ph.D. supervisors through a procedure laid down by the Board of Studies of each School and in each case such assignment shall be considered and decided by the Board of Studies.

(5) No academic faculty shall have more than six registered Ph.D. students at any given time.

(6) The assigned supervisor may recommend up to two advisers as co-supervisors for the student whose names shall have to be approved by the Board of Studies.

(7) All Ph.D. students shall be required to complete a specified number of credits of pre-Ph.D. course work within the first year of their admission.

(8) In the case of a transferred student from other university, he or she shall obtain his or her Ph.D. degree from the University and this requirement may be exempted at the discretion of the Board of Studies after taking into account course work that may previously have been undertaken by the student at another university.

(9) For the purpose of availing exemption as specified in sub-ordinance (8), the students shall submit an application to the Board of Studies along with all documents including a full description of the course already taken, accompanied by the syllabus and a copy of the transcripts**.**

(10) A candidate shall be declared to have successfully completed the pre-Ph.D. course, if he or she obtains a minimum CGPA of 6.0.

(11) The students who fail in any of the credit course, or get a CGPA of less than 6.0, or show lack of interest and motivation for research after completion of course work, shall not be confirmed in the Ph.D. programme and their name shall be struck off from the rolls of the University.

(12) After-successful completion of pre-Ph.D. course work, the student shall be required to submit a detailed proposal in the form of a synopsis of his or her proposed research work within three months from the date of declaration of result**,** and the student shall be considered to have registered for the Ph.D. programme when the Board of Studies approves his or her formal proposal.

(13) The students shall endeavour to submit their thesis within the period of five years or ten semesters from the date of confirmation of his or her registration.

(14) The name of the student shall be removed from the rolls of the University, if he or she fails to submit his or her thesis within the period specified in sub-ordinance (12).

IndiaCode

(15) If the student is unable to submit his or her thesis as specified in sub-ordinance (12), he or she shall make an application for extension which shall specify reasons and circumstances for his or her inability to submit thesis before the required date, and thereafter, the application shall be considered by the Board of Research Studies, which shall review each case and make a specific recommendation about the grant of extension.

(16) No student shall be permitted to submit his or her thesis for the Ph.D. degree unless he or she has pursued a course of research at the University for not less than two years after the confirmation of his or her registration**.**

22. Examinations. – (1) All assessments and examinations for various academic programmes of the University, except for the evaluation of Ph.D. theses, shall be conducted internally:

Provided that the Members of the Faculty shall be free to have external evaluation in specific cases upon recommendation of the Board of Studies.

(2) All examinations shall be conducted under the direction of the Dean of the Schools and follow an examination schedule announced by the University.

(3) The Question papers for mid-semester and end-semester examinations, quizzes and practical examinations for the evaluation of students enrolled for various credit courses shall be prepared by the faculty teaching the respective courses from within the syllabus announced in the beginning of each semester.

Provided that questions may also be asked from any topic taught in the class that may not have been specifically stated in the course syllabus.

(4) No student shall be permitted to submit the required written papers, dissertations, projects etc. or sit for final semester evaluations unless he or she has furnished Clearance Certificate from the University along with receipts for all dues including examination fees, if any.

(5) The centralised examination time tables for mid-semester and end-semester examination shall be announced by the University's Academic Office at the beginning of the semester.

(6) After the examination, answers shall be evaluated by the faculty who prepared the question papers and grades shall also be awarded by him or her.

Provided that the Dean may also request other members of the faculty with relevant expertise to evaluate the answer sheets or conduct oral examinations, in case the need arises.

(7) After the end of the semester, the Dean shall have all grades scrutinised by the Faculty Committee or a committee of other members of the faculty constituted for this purpose, before the notification of the grades.

(8) The University shall retain the graded answer sheets of students in safe custody for at least one year, in case there is a request for re-evaluation from any student.

(9) The students who have to reappear in an examination for improving his or her grade in a course shall have to apply to the Dean of School, in the Application Form prescribed for the purpose and shall pay a fee of rupees four hundred per course.

(10) The student shall be eligible to appear in the Semester Examination, if he or she has attended a minimum of seventy five per cent of the total classes held in the Semester.

(11) The results of the examination at the end of each semester shall be forwarded by the Dean's office to the University administration.

(12) If a student is not satisfied with the examination result, he or she may request for a review of the result through the Academic Office.

(13) While making the review the Academic Office shall verify whether the examination script has been marked completely and all marks have been correctly transmitted to the Board of Examiners and it shall not involve marking an examination script second time.

(14) The University may review the answer scripts of semester-end examination but not other continuous assessment parameters.

(15) The application form for review, along with the prescribed fees of rupees four hundred, for a particular course shall be forwarded to Academic office within two weeks of declaration of result.

23. Moderation. – (1) The University shall ensure effective and consistent moderation processes in all courses.

(2) The moderation of assessment instruments (course work briefs and examination questions) shall ensure that their form and contents are correct in terms of standards, assessment of learning outcomes, syllabus coverage, level of challenge, and fairness.

(3) The moderation of student work (course work and examination scripts) shall ensure the use of agreed marking criteria, comparability and equity of standards, consistency and fairness of marking.

(4) The Moderation System as decided and set forth by the Board of Studies shall be applicable to all the Post Graduate End Semester Examination or any other examination conducted from time to time.

24. **Modification of results. –** (1) If the result of the examination is found to be erroneous, the Board of Examiners shall have power to get such result rectified with the necessary approval of Vice Chancellor provided, the errors are reported or detected within six months from the date of declaration of results and if any error is detected thereafter, the same shall be placed before the Board of Examinations for rectification.

(2) For the purpose of sub-ordinance (1), the following errors shall be taken into consideration, namely:-

(a) error in computer or data entry, printing or programming and the like,

(b) clerical error in totaling or entering of marks in file,

(c) error due to negligence or omission of examiner or any other person connected with evaluation, moderation and result preparation.

(3) If the result of Examination has been published and subsequently, it is found that the result has been obtained by fraud or malpractices exercised by the examinee, the Board of Examination shall revise the result of such examinee at any time.

MONIKA KAPIL MOHTA, Jt. Secy. (South)

[ADVT.III/4/ Exty./191-D/15 (112)]

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.